

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने और तत्संस्त अथवा उसके आनुअंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने और तत्संस्त अथवा उसके आनुअंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।